

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3052

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा स्थानीय लोगों को सुविधाएं

3052. श्री चिन्तामणि महाराज:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थानीय लोगों और श्रमिकों को क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं; और

(ख) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि और अन्य शीर्षों के अंतर्गत किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): सीएसआर के तहत विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों के माध्यम से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं विभिन्न विषयों जैसे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, जल आपूर्ति, ग्रामीण विकास आदि से संबंधित हैं, जो मुख्य रूप से एसईसीएल परियोजना स्थलों/खानों/क्षेत्र मुख्यालय/कंपनी मुख्यालय से 25 किलोमीटर के भीतर रहने वाली स्थानीय आबादी के विकास के लिए और एसईसीएल के प्रचालन राज्य अर्थात् छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए है। इसके अलावा, एसईसीएल सुरक्षित और मुफ्त पेयजल, बेहतर सड़कें, प्रभावित और आस-पास के गांवों में आवधिक चिकित्सा जांच शिविर / नेत्र शिविर आयोजित करके, कंपनी के औषधालय/अस्पतालों में मुफ्त ओपीडी सुविधाएं और परियोजना द्वारा विस्थापित भूमिहीन लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके स्थानीय आबादी को व्यापक सुविधाएं भी प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, एसईसीएल अधिनियम/नीति के अनुसार प्राथमिक स्कूलों के लिए भवनों, शॉपिंग सेंटरों, सामुदायिक केंद्रों के लिए भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भवनों, कुओं, हैंडपंपों, पहुंच सड़कों, बिजली के खंभों और बिजली के तारों और खेल के मैदानों जैसे विभिन्न आरएंडआर स्थलों पर भी सुविधाएं प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, एसईसीएल ने अपने कर्मचारियों/कामगारों के लिए अनेक कल्याणकारी पहलें की हैं। ये पहल मानव पूंजी के लिए कल्याण, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित

करती हैं। एसईसीएल द्वारा अपने कामगारों के लिए किए गए प्रमुख कल्याणकारी उपाय इस प्रकार हैं:

1. स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं

- **स्वास्थ्य देखभाल केंद्र:** एसईसीएल अपने खनन क्षेत्रों में कई स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय चलाता है, जो कर्मचारियों और उनके परिवारों को प्राथमिक और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। क्षेत्र के केंद्रीय अस्पतालों से कर्मचारियों और उनके परिवारों को आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और इनपेशेंट उपचार प्रदान किया जाता है।
- **निः शुल्क चिकित्सा सेवाएं:** कर्मचारियों और उनके आश्रितों को निशुल्क चिकित्सा उपचार की जाती है, जिसमें इन-हाउस चिकित्सा देखभाल और पैनलबद्ध अस्पतालों में उपचार के प्रावधान शामिल हैं।
- **चिकित्सा शिविर:** श्रमिकों की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं, विशेष रूप से श्वसन स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में, जो खनन कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है

2. आवास और निवास

- **आवासीय क्वार्टर:** एसईसीएल अपने कर्मचारियों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करता है, विशेष रूप से खनन क्षेत्रों में जहां आवास एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। इन क्वार्टरों का रखरखाव किया जाता है और बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
- **परिवार कल्याण:** यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि कर्मचारियों के परिवारों को स्वच्छ पेयजल, बिजली और स्वच्छता जैसी सुविधाओं तक पहुंच हो।

3. शिक्षा और कौशल विकास

- **बच्चों के लिए स्कूल:** एसईसीएल अपने खनन क्षेत्रों में स्कूल चलाती है, कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है।
- **छात्रवृत्ति और ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति:** छात्रवृत्ति उन कर्मचारियों के बच्चों को प्रदान की जाती है जो अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। सरकारी संस्थानों में इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा के लिए कर्मचारी के आश्रितों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के प्रावधान हैं।
- **कौशल विकास कार्यक्रम:** एसईसीएल अपने कर्मचारियों को कौशल प्रदान करने, उनकी रोजगार क्षमता और कैरियर विकास के अवसरों में सुधार करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित करता है।

4. सेवानिवृत्ति लाभ

- **पेंशन और ग्रेच्युटी:** एसईसीएल अपने कर्मचारियों को कोयला खान पेंशन स्कीम, ग्रेच्युटी और कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) सहित व्यापक सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करता है।
- **सेवानिवृत्ति के बाद कल्याण:** एसईसीएल के पास सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी स्कीमें हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करता हैं।

5. वित्तीय सहायता और ऋण

- **आवास ऋण/कार ऋण:** एसईसीएल कर्मचारियों को आवास बनाने और/या कार खरीदने के लिए कम ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है।

6. सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियाँ

- **खेल कूद और मनोरंजन:** एसईसीएल कर्मचारियों को खेल कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। कंपनी कर्मचारियों और उनके परिवारों दोनों के लिए खेल आयोजनों, सांस्कृतिक उत्सवों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है।
- **क्लब और सोसायटी:** कर्मचारी और उनके परिवार कंपनी के भीतर सामाजिक और मनोरंजक क्लबों में शामिल हो सकते हैं, जिससे स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

7. महिलाओं का कल्याण

- एसईसीएल भेदभाव को रोकने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मौजूद नीतियों के साथ अपने कार्यबल में महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करता है।
- महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश, बच्चों की देखभाल की सुविधा, कार्यस्थल पर क्रेच और काम तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों को संतुलित करने के लिए अन्य लाभ भी प्रदान किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, एसईसीएल में ठेकेदार के कामगारों को प्रदान की गई सुविधाएं निम्नानुसार हैं:

- खान परिसरों में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा।
- पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ठेकेदार कामगारों को कंपनी अस्पताल में चिकित्सा ओपीडी और अंतरंग सुविधा प्रदान की जा रही है।
- पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं।

- अनुबंध की शर्तों के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा /सुरक्षा उपकरण
- एम्बुलेंस की सुविधा।
- कैटीन और क्रेच सुविधा।
- अनुबंध की शर्तों के अनुसार समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा।
- आठ राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, यूको बैंक, बीओआई, इंडियन बैंक, यूबीआई के साथ कॉर्पोरेट वेतन पैकेज। कोल इंडिया लिमिटेड और विभिन्न बैंकों के बीच हस्ताक्षरित समझौता जापन के अनुसार उपरोक्त बैंक मृत्यु के मामले में या स्थायी पूर्ण विकलांगता और अन्य सुविधाओं के लिए 40 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान कर रहे हैं।
- कानून के अनुसार, खान दुर्घटना के मामले में ठेकेदार श्रमिक के परिजनों को 15 लाख रुपये की अनुग्रह राशि सहित सामाजिक सुरक्षा और कोविड-19 के दौरान भी एसईसीएल के ठेकेदार श्रमिकों के परिजनों को भी इतनी ही राशि का भुगतान किया गया था, जिनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई थी।
- ठेकेदार श्रमिकों को सीएमपीएफ / ईपीएफ और कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत भी कवर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, गैर-खनन कार्यकलापों में लगे ठेकेदार कामगारों को न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) का भुगतान किया जाता है और खनन कार्यकलापों में लगे ठेकेदार कामगारों के मामले में सीआईएल की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। (एचपीसी मजदूरी, गैर-कोयला खानों के लिए अनुसूचित नियोजन में नियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सीआईएल और एससीसीएल के लिए नियमित कामगारों की निम्नतम श्रेणी अर्थात् एनसीडब्ल्यूए-XI की कैट-I को देय मजदूरी के बीच है।
- एसईसीएल के परियोजना स्कूल में ठेकेदार कामगारों के बच्चों को शिक्षा सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

(ख) : एसईसीएल द्वारा पिछले पांच वर्षों (वर्षवार) और चालू वर्ष अर्थात 2024-25 के दौरान छत्तीसगढ़ के संबंधित जिलों में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) शीर्ष (क्षेत्रवार) के तहत किए गए विभिन्न विकास कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	स्वास्थ्य देखभाल	शिक्षा	जलापूर्ति	पर्यावरणीय संधारणीयता	ग्रामीण विकास	अन्य	कुल
2019-20	18.50	0.91	0.69	5.62	1.94	56.99	84.65
2020-21	26.44	4.74	0.24	0.11	2.24	4.56	38.33
2021-22	45.55	15.32	0.00	4.36	5.14	9.45	79.82
2022-23	35.72	12.77	0.00	0.42	2.48	7.89	59.28
2023-24	32.07	7.25	0.00	0.24	6.54	6.97	53.07
2024-	13.40	5.12	0.00	1.09	4.25	1.49	25.35

25(वर्तमान)							
कुल	171.68	46.11	0.93	11.84	22.59	87.35	340.50

छत्तीसगढ़ राज्य में एसईसीएल के जिलावार सीएसआर व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

छत्तीसगढ़ में जिले का नाम	2019- 20	2020-21	2021-22	2022- 23	2023- 24	2024-25	कुलयोग
बलरामपुर	0.42			0.11		0.92	1.45
बलरामपुर- रामानुजगंज			3.52				3.52
बस्तर			0.21		0.04		0.24
बिलासपुर	21.65	11.45	10.32	0.96	1.98	4.18	50.54
गौरेला-पेंड्रा- मरवाही			0.2				0.2
जांजगीर-चांपा			0.25				0.25
कोरबा	0.99	4.51	7	5.41	11.74	8.99	38.64
कोरिया	0.12	0.01	0.32	0.06	3.69		4.2
रायगढ़	0.36	1.36	7.25	5.96	1.67	3.86	20.47
रायपुर	0.02	0.27	0.31	2.83	6.31	0.69	10.42
सूरजपुर	1.15	1.11	0.89	0.73	0.66		4.53
सरगुजा		2.93	1.6	0.18	0.6	0.59	5.91
छत्तीसगढ़ के अन्य जिले	58.49	12.88	10.88	25.52	9.29	2.13	119.19
छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यय	0.49	3.33	2.33	2.73	3.02		11.9
कुलयोग	83.69	37.86	45.07	44.49	39	21.35	271.46

कुल मिलाकर, एसईसीएल का सीएसआर व्यय स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरणीय संधारणीयता, ग्रामीण विकास परियोजनाओं आदि में सुधार पर अत्यधिक फोकस करते हुए लक्षित निवेशों की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जो समुदाय आधारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूल है।

छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में गत पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अन्य शीर्षों के अंतर्गत किए गए विकास कार्यों का विवरण इस प्रकार है:

- विभिन्न गांवों में खान का पानी उपलब्ध कराना।
- सामुदायिक/बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण।
- मौजूदा स्टेडियमों का नवीकरण।
- स्कूलों/टाउनशिप आदि की चारदीवारी का निर्माण।
- सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण
- पहुंच मार्ग/गांव सड़क आदि का निर्माण।
- पेवमेंट, पुलिया आदि के साथ सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण।
- मौजूदा सड़कों का सुदृढीकरण और चौड़ीकरण।
- पीडब्ल्यूडी सड़क की री-कारपेटिंग।
- छात्रावासों का निर्माण।
- बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट आदि का निर्माण।
- अस्पताल में आईसीयू यूनिट की वृद्धि।
- खेल परिसर का निर्माण/आधुनिकीकरण।
